आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री बी.एम. बियाणी, लेखा सदस्य तथा
श्री परेश म.जोशी, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 314/इंदौर/2024
निर्धारण वर्ष : 2011-12

प्रकाशचंद जैन, एमआईजी-8, चंचल नगर, लक्ष्मी नगर के पास, भोपाल	बनाम	आयकर अधिकारी-5(2), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं- एएचएलपीजे 6173 एफ PAN- AHLPJ6173F		

अपीलार्थी की ओर से	सुश्री निशा लाहोटी, सीए
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभा.प्रति.
सुनवाई तिथि	01.05.2025
उद्घोषणा तिथि	01.05.2025

आदेश

श्री परेश म.जोशी, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2011-12 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, दिल्ली के आदेश दिनांक 12.09.2022 के विरूद्ध निदेशित, है जो कि आयकर अधिकारी, 5(2), भोपाल के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के अधीन आदेश दिनांक 04.12.2018 से उद्भूत है । रजिस्ट्री द्वारा सूचित किया गया है कि यह अपील 515 दिनों से कालबाधित है । इस संबंध में निर्धारिती द्वारा विलंब की माफी हेतु आवेदन दाखिल किया गया है जिसमें यह निवेदन किया गया कि निर्धारिती एक वृद्ध व्यक्ति है जो कंप्यूटर एवं इंटरनेट तकनीक के उपयोग से अवगत नहीं है तथा उसकी व्यक्तिगत ई-मेल आईडी भी नहीं है । फार्म सं. 35 में दिया गया ई-मेल आईडी उसके पूर्ववर्ती अधिवक्ता की थी तथा अधिवक्ता द्वारा उन्हें एनएफएसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2022 के बारे में नहीं बताया गया था । तत्पश्चात जब निर्धारिती के विरूद्ध धारा 271(1)(सी) के अधीन आदेश दिनांक 20.03.2024 पारित हुआ तब निर्धारिती को उपरोक्त आदेश के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई । इस वजह से अपील दाखिल करने में 515 दिनों का विलंब हुआ। निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील दाखिल करने में विलंब साभिप्राय

तथा जानबूझकर नहीं किया गया है अतः उन्होंने इस विलंब को माफ करने हेतु अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निर्धारिती के इस अनुरोध पर आपत्ति नहीं की । हमने पाया कि अपील दाखिल करने में विलंब तर्कसंगत वजह से हुआ है अतः हम इस विलंब को माफ करते है तथा अपील सुनवाई हेतु लेते है ।

2. इस अपील की सुनवाई के दौरान, निर्धारिती के विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि निर्धारिती ने "**प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024**" के अधीन आवेदन किया है तथा फार्म सं. 1 के द्वारा आयकर विभाग को प्रस्तुत किया है । विभाग द्वारा निर्धारिती को फार्म सं. 4 जारी किया गया है । निर्धारिती द्वारा फार्म सं. 4 की प्रति भी दाखिल की गई हैं । अतः निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नही है । निर्धारिती के विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है। अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उसका इस योजना में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 01.05.2025 को सुनवाई के पश्चात खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया तथा तत्पश्चात लिखित आदेश पारित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(बी.एम.बियाणी)	(परेश म.जोशी)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 01.05.2025

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल